4.3 बीपीओ पाठ्यक्रम का विकल्प देने वाले उम्मीदवारों को अर्हक परीक्षा (अर्थात 10+2) में उनके विषयों पर निर्भर करते हुए या तो जीव विज्ञान या गणित के प्रश्नों का उत्तर देने का विकल्प होगा । ऐसे अभ्यर्थी विषय का विकल्प आवेदन फार्म में उचित कॉलम में देंगे । शेश के लिए भौतिकी, रसायन–शास्त्र, सामान्य ज्ञान तथा अंग्रेजी विषयों के सभी प्रत्याशियों के लिए समान प्रश्न होंगे ।

4.4 आवेदन पत्र भरते समय विषय के लिए दिए गए विकल्प को प्रवेश परीक्षा के समय बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

4.5 संस्थान द्वारा चलाए जा रहे बीपीटी, बीओटी अैर बीपीओ के पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाले सभी भारतीय अभ्यर्थियों को एक प्रवेश परीक्षा में भाग लेना होगा। सफल अभ्यर्थियों को वरीयता सूची में उनके स्थान के आधार पर होने वाली काउंसिलिंग में बुलाया जायेगा। काउंसिलिंग हेतु बुलावा पत्र भेजे जाने मात्र से अभ्यर्थी संस्थान में प्रवेश का हकदार नहीं बन जायेगा। प्रवेश वरीयता सूची में अभ्यर्थी के स्थान, अर्हता शर्तों के पूरे होने व मूल प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतिकरण पर आधारित होगा, जैसा कि विवरणिका में उल्लिखित है।

5- lhVksa dh la[;k

5-1 lhVksa dk vkj{k.k बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थैरेपी व बैचलर ऑफ फिजियोथैरेपी के प्रत्येक पाठ्यक्रम में 54 सीटें होंगी और बैचलर आफ प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स में 31 सीटें होंगी । विभिन्न श्रेणी के प्रत्याशियों के लिए सीटों का वितरण इस प्रकार हैं–

ikB~;Øe	dqy lhVsa	lkekU; Js.kh	vuq- tkfr	vuq- tutkfr	'kkjhfjd fodykax	vU; fiNM+k oxZ	Tkgka f'k{k.k lqfo/kk,a ugha	lhMCY;w ,ihih	fons'kh ewy
बीपीटी	54	20	8	4	2	15	3	2	2
बीओटी	54	20	8	4	2	15	3	2	2
बीपीओ	31	15	5	2	1	8	..	1	..
कुल	139	55	21	10	5	38	6	5	4

5-2 vuqlwfpr tkfr@vuqlwfpr tutkfr izR;k'kh ¼v-tk@v-t-tk-½

प्रत्येक पाठ्यक्रम में कुल सीटों का 15 प्रतिशत व साढ़े सात प्रतिशत क्रमशः अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशी के लिए आरक्षित हैं।

किसी भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशी को भी इन पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन करते समय सक्षम अधिकारी से इस आशय का प्रमाण–पत्र देना होगा कि वह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बद्ध है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रदत्त उच्च कोटि शिक्षा की सैन्ट्रल सैक्टर स्कोलरशिप प्राप्त करने हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

5-3 vU; fiNM+k oxZ ds izR;k'kh

प्रत्येक पाठ्यक्रम में कुल सीटों का 27% सीटें अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित हैं ।
जो छात्र इस श्रेणी में आरक्षण चाहते हैं वे संबंधित/सक्षम अधिकारी से प्रमाणित पत्र, इस संबंध में विवरणिका